



2026:AHC: 167971

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 7454/2025

ओमंत सिंह

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: कृष्ण कांत दुबे, संतोष कुमार दुबे

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 93

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. प्रत्यर्थी संख्या 4 और 5 की ओर से आज न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उनकी प्रत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल करने की कोई मंशा नहीं है और वे मामले में बहस करने के लिए तैयार हैं।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण कांत दुबे, प्रत्यर्थी संख्या 4 और 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजन मिश्रा और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
4. वर्तमान आपराधिक अपील याचिकाकर्ता द्वारा विद्वान विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम), हापुड़ द्वारा आपराधिक विविध वाद संख्या 138 वर्ष 2025 (ओमंत सिंह बनाम अमित खुराना और अन्य), थाना हापुड़ देहात, जिला हापुड़ में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 09.07.2025 के विरुद्ध दाखिल की गई है, जिसके द्वारा धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल परिवाद को खारिज कर दिया गया था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रार्थना पत्र परिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाते हुए दिया गया था कि प्रत्यर्थियों ने उसके द्वारा खरीदे गए वाहन को बेच दिया है, जिसका विवरण परिवाद में दिया गया है। यह कहा गया है कि 70,000/- रुपये नकद भुगतान किए गए थे, जबकि शेष 4,84,000/- की राशि को कोटक महिंद्रा बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त किया गया था। उक्त वाहन का बाद में एक्सीडेंट हो गया था। इसके पश्चात, ललित गुप्ता के झूठे आश्वासन पर, परिवादी ने वाहन को चिन्हित स्थान पर खड़ा कर दिया। तत्पश्चात, उसे सूचना मिली कि वाहन बेच दिया गया है और प्रत्यर्थियों द्वारा ऋण राशि का गबन कर लिया गया है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने 70,000 रुपये नकद भुगतान करने और बैंक फाइनेंस के माध्यम से शेष राशि प्राप्त करने के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 से वाहन खरीदा था, लेकिन प्रत्यर्थियों ने पंजीकरण दस्तावेज प्रदान करने में असफलता दिखाई और बाद में वाहन बेच दिया। एसएसपी के पास जाने के बावजूद, कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई, जिससे याचिकाकर्ता को धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देने के लिए विवश होना पड़ा। यह प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस जांच में भी थाना इंडस्ट्रीज में वाहन के अस्तित्व और पक्षों के बीच विवाद पर ध्यान दिया गया था। याचिकाकर्ता ने प्रासंगिक रसीद, अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र और बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किया है। हालांकि, विद्वान निचली अदालत ने सामग्री और धोखाधड़ी, षड्यंत्र, जाति-आधारित गाली-गलौज तथा धमकियों के आरोपों पर उचित रूप से विचार किए बिना, केवल रसीद के अभाव में प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। तदनुसार, यह प्रार्थना की गई है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 09.07.2025 को अपास्त किया जाए और धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पर उचित निर्देश जारी किए जाएं।

7. प्रत्यर्थी संख्या 4 और 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 4 कोटक महिंद्रा बैंक का एक कर्मचारी है, जबकि प्रत्यर्थी संख्या 5, ललित गुप्ता, उसका भाई है। यह प्रस्तुत किया गया कि ऋण राशि के कथित गबन के कारण परिवादी द्वारा धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया गया है। जहां तक इस आरोप का संबंध है कि ललित गुप्ता के कहने पर वाहन को चिन्हित स्थान पर खड़ा किया गया था, इसके समर्थन में कोई विश्वसनीय सामग्री अभिलेख पर नहीं लाई गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रार्थना पत्र के परिशीलन से, ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षों के बीच विवाद अनिवार्य रूप से व्यावसायिक प्रकृति का है, जो वाहन की खरीद और ऋण लेनदेन से संबंधित है। जहां तक वाहन की बिक्री और राशि के गबन से संबंधित आरोपों का संबंध है, वे सुनी-सुनाई बातों पर आधारित हैं। जहां तक जातिसूचक गाली-गलौज के आरोप का संबंध है, किसी भी अभियुक्त को कोई विशिष्ट या अलग भूमिका नहीं सौंपी गई है, और न ही ऐसा कोई स्पष्ट आरोप है कि कथित अपमानजनक शब्दों का उपयोग परिवादी को उसके एससी/एसटी वर्ग से संबंधित होने के आधार पर अपमानित या तिरस्कृत करने के आशय से किया गया था। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थना पत्र किसी गुप्त उद्देश्य से संबंधित न्यायालय के समक्ष दिया गया है। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दाखिल प्रार्थना पत्र को सही ढंग से खारिज किया है।

9. इस प्रकार, वाद के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभिवेदनों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, पर विचार करने के पश्चात, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दाखिल याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र को सही ढंग से खारिज किया है। आक्षेपित आदेश दिनांक 09.07.2025 किसी भी अवैधता, विकृति या दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराए।

10. गुण-दोष से रहित होने के कारण, अपील तदनुसार **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

11 अगस्त, 2026

अंकित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”